

2019/00202

फर्द अहकाम
(नियम 26)
न्यायालय जिला कलक्टर, जोधपुर

मंगलाराम पुत्र श्री पोलाराम जाति राईका, बनाम
निवासी बैरू तहसील व जिला जोधपुर

1. पीराराम पुत्र भवराराम
2. मेहराराम पुत्र फुसाराम
3. जेठाराम पुत्र मंगीलाल
4. हप्पारामसय पुत्र फुसाराम
5. पुसाराम पुत्र चिमाराम
6. कालुराम पुत्र हुकमाराम
7. सुजाराम पुत्र फुसाराम
जातिघान राईक निवासीगण ग्राम
बैरू तहसील व जिला जोधपुर ।
8. तहसीलदार जोधपुर

राजस्व अपील
225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
नम्बर 03 सन् 2019

| तारीख हुकम | हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम की हुकम हुकम को समील में जारी हुक |
|---------------------|---|---|
| 09.01.19 | <p>अपीलार्थी मंगलाराम पुत्र श्री पोलाराम जाति राईका, निवासी बैरू तहसील व जिला जोधपुर वगैरा द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध आदेश दिनांक 20.12.2018 जो तहसीलदार जोधपुर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 11/2018 बअनवान पीराराम वगैरा बनाम मंगलाराम जारी किया गया के पेश हुई ।</p> <p>अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अग्रिम सुनवाई हेतु पत्रावली अपर जिला कलक्टर (प्रथम) जोधपुर को स्थानान्तरित की जाती है । पक्षकार अपर कलक्टर (प्रथम) जोधपुर न्यायालय में दिनांक 29.01.2019 को उपस्थित हों ।</p> | 151 10/1/19 |
| जिला कलक्टर, जोधपुर | | |